पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 218/2024 दिनांक- 12.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने थाना फूलपुर, सीओ फूलपुर कार्यालय व थाना सरायमीर का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा- निर्देश

दिनांक- 11.07.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा थाना फूलपुर, सीओ फूलपुर कार्यालय व थाना सरायमीर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये-

थाना-फूलपुर

➡ थाना कार्यालय के अभिलेखो का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

➡ थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाया गया।

➡ पुलिस कर्मियों से लागू किये गये नये कानूनों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

➡ थाना कार्यालय के सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नये कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

➡ थाना परिसर में लगाये गये सीसीटीवी कैमरो की स्थिती परखी।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले, सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

थाना- सरायमीर

➡ थाना कार्यालय के रजिस्टरों के बारे में जानकारी न होने पर प्रभारी निरीक्षक सरायमीर को फटकार लगायी गयी।

➡ थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा रजिस्टर पूर्ण न करने वाले कर्मियों के ओ0आर0 किये गये।

➡ थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाया गया।

➡ पुलिस कर्मियों से लागू किये गये नये कानूनों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

➡ थाना कार्यालय के सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नये कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

➡ थाना परिसर में लगाये गये सीसीटीवी कैमरो की स्थिती परखी।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले, सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

प्रेस-विज्ञप्ति

महिला थाने पर पढ़ाया गया नये कानून का पाठ

आज दिनांक 11.07.2024 को अपर निदेशक अभियोजन आजमगढ़ मण्डल श्री भानू प्रताप पाण्डेय व प्रभारी संयुक्त निदेशक शमशाद हसन आजमगढ़ व अभियोजन अधिकारी श्री विपिन चन्द्र भाष्कर द्वारा 03 नए कानून जागरूकता के दृष्टिगत महिला थाना जनपद आजमगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 35 से अधिक लोग उपस्थित थे, जिनकों अपराध नियंत्रण करने के लिए 03 नए अपराधिक कानून लागू किये गये है, नए कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर शक्ति और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किये जाने के क्रम में -

1. भा0द0सं0 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता
2. द0प्र0 सं0 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
3. साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम

दिनांक-21.12.2023 को उपरोक्त कानूनों को भारत की संसद से इसकों स्वीकृति मिली थी। इसके पश्चात दिनांक- 25.12.2023 को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी।

➡ थाना स्थानीय पर उपस्थित सभी अधिकारी / कर्मचारीगण व अन्य लोगो को नये 03 कानून व महिला सम्बन्धी अपराध, लम्बित विवेचनाओ को त्वारित गति से निस्तारण करने व मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया है। उक्त कार्यक्रम मे थानाध्यक्ष महिला थाना व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहें।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यू0पी0 112 के माध्यम से त्वरित नागरिक सेवाये उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आजमगढ़ को 09 अदद नये चार पहिया पुलिस रिस्पांस वाहन (पीआरवी) तथा 03 अदद दो पहिया पीआरवी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक यू0पी0 112 द्वारा आवंटित किये गये है।

➡पूर्व में जनपद को 14 चार पहिया वाहन तथा 4 दो पहिया पीआरवी पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार जनपद को अब तक कुल 23 नयी चार पहिया पीआरवी तथा 7 नयी दो पहिया पीआरवी प्रदान की जा चुकी है।

➡आज दिनांक 12.07.2024 को नये प्राप्त पीआरवी वाहनों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में आयोजित किया गया।

➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा सभी 12 वाहनों को हरी झंड़ी दिखाकर उनके आवंटित स्थानों हेतु रवाना किया गया। जनपद को प्रदत्त सभी 09 चार पहिया पीआरवी रूफ माउण्टेड कैमरा से सुसज्जित है एवं घटनास्थल का स्वयमेव फोटो और वीडियो लेने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला पीआरवी, एवं महिला रात्रि सुरक्षा सेवा से सम्बन्धित आमजन/जनमानस को तत्काल सेवा प्रदान करने/सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उक्त समस्त पीआरवी जनपद आजमगढ को प्रदान की गई है। जिससे जनपद आजमगढ़ के नागरिक आपातकालीन हेल्पलाईन 112 का सही समय पर प्रयोग कर यू0पी0 112 के माध्यम से पुलिस के सहयोग से किसी भी समय सुरक्षा/सेवा प्राप्त कर सकते है। नई प्राप्त चार पहिया पीआरवी में से जनपद आजमगढ़ के थाना महराजगंज को 02 पीआरवी तथा थाना सरायमीर, मुबारकपुर, कप्तानगंज, मेहनगर तरवॉ, दीदारगंज व देवगॉव को क्रमशः 01-01 पीआरवी तथा प्राप्त दो पहिया में से देवगॉव पवई व सिधारी को क्रमशः 01-01 पीआरवी आवंटित की गई है जो उक्त थाना क्षेत्रो में रहते हुये सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगे।

➡उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त 12 पीआरवी में से 9 चार पहिया (6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215)व 03 दो पहिया(6416, 6416, 6418) पीआरवी व्यवस्थापन

➡चार पहिया पीआरवी का व्यवस्थापन

क्र0सं0	पीआरवी	थाना क्षेत्र
1	पीआरवी 6207	थाना मेहनगर
2	पीआरवी 6208	थान मुबारकपुर
3	पीआरवी 6209	थाना दीदारगंज
4	पीआरवी 6210	थाना देवगांव
5	पीआरवी 6211	थाना तरवॉ
6	पीआरवी 6212	थाना महराजगंज
7	पीआरवी 6213	थाना महाराजगंज
8	पीआरवी 6214	थाना कप्तानगंज
9	पीआरवी 6215	थाना सरायमीर

➡दो पहिया पीआरवी का व्यवस्थापन

क्र0सं0	पीआरवी	थाना क्षेत्र
1	पीआरवी 6416	थाना देवगाँव
2	पीआरवी 6417	थाना सिधारी
3	पीआरवी 6418	थाना पवई

थाना गम्भीरपुर

गोवध के 02 अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही ।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 11.07.2024 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा अभियुक्त अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है इसका एक सुनियोजित गैंग है। जिस गैंग का अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद स्वयं गैंग लीडर है।

दिनांक 07.12.2023 को उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के द्वारा गोवंश को क्रूरता पूर्वक पिकअप गाड़ी में हाथ पैर मुंह बांध कर लोड करने से सम्बन्धित वीडियो क्लिप वायरल होने के आधार पर दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-403/2023 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम 1.अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना गुण दोष/साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध जुर्म धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 का अपराध पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या A-312/23 दिनांक 17.12.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है । दिनांक 8.12.2023 को मार्टिनगंज गंभीरपुर रोड धरनीपुर विषयां रोड के पास अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था । पुलिस द्वारा आत्म रक्षार्थ किये गये जवाबी फायरिंग में अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पैर में गोली लगने से घायल होने के उपरान्त पकड़ा गया था तथा मौके से उसका साथी अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ फरार हो गया था । जिसकी गिरफ्तारी बाद में की गयी थी ।

उक्त के संदर्भ में थाना स्थानीय पर तत्कालीन थानाध्यक्ष गम्भीरपुर विनय कुमार सिंह द्वारा मु.अ.स.404/2023 धारा 307 भादवि एंव 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग अभियुक्तगण 1.अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष निजामाबाद सच्चिदानन्द यादव द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना गुण दोष /साक्ष्य संकलन के आधार पर सम्पादित करते हुए आरोप पत्र सं.ए-88/24 दिनाक 28.03.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है । जो मा.न्यायालय में विचाराधीन है । उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त अपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया । इस गैंग के लीडर व उसके सदस्य के द्वारा अपने आर्थिक एंव भौतिक /दुनियाबी अनुचित लाभ के लिये क्रूरता पूर्वक गौ परिवहन/गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है। गैंग लीडर तथा उसका सदस्य गौ परिवहन/गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्थ अपराधी है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के अनुमोदनोपरान्त गैंग लीडर अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व उसके सदस्य पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध धारा-2 (ख)(एक) व (सत्रह) व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

पंजीकृत अभियोगः–

1-मु0अ0सं0-263/2024 धारा 2(ख)(1)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

अभियुक्तः– अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-404/2023 धारा-307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट
2. मु0अ0सं0-403/2023 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-323/2023 धारा-308/323/324/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-99/23 धारा-3/25 A. ACTथाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-81/2022 धारा-504,506 IPC थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-231/2022 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0-324/22 धारा-323,325,504,506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0-14/2021 धारा-379 IPC थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0-182/18 धारा-379 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0-47/2015 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0-29/2014 धारा-380 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
12. मु0अ0सं0-217/2013 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
13. मु0अ0सं0-147/2008 धारा-323/494/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

14. मु0अ0सं0-263/2024 धारा 2(ख)(1)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

अभियुक्तः-पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0-403/2023 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0-404/2023 धारा-307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0-263/2024 धारा 2(ख)(1)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना- फूलपुर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12-07-2024 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी थाना फूलपुर आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर के साथ अभियुक्त आबिद शाह पुत्र मो0 नईम शाह निवासी आँधीपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ को कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल के पास से समय 00.27 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 379/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध के पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. .आबिद शाह पुत्र मो0 नईम शाह निवासी आँधीपुर थाना फूलपुर आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर बरामद।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 379/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट आँधीपुर थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 11.07.2024 को उ0नि0 अजय सिंह,उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभि. 1. अमन पाठक पुत्र स्व0 कृष्णामणि पाठक, 2. आदित्य पाठक उर्फ गोलू पुत्र स्व0 गिरजा पाठक नि0 पठखौली थाना कोतवाली आजमगढ़ को प्राइवेट बस अड्डा तिराहा से समय 20.45 बजे गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 1 अदद चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 401/24 धारा 317(2),318(4),336(3),338,340(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अमन पाठक पुत्र स्व0 कृष्णामणि पाठक उम्र 27 वर्ष,

2. आदित्य पाठक उर्फ गोलू पुत्र स्व0 गिरजा उम्र 30 वर्ष निवासीगण पठखौली थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1-एक मोटर साइकिल हीरो स्पलेन्डर रजि0न0 यूपी65डीएस 8998,

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया किहमदोनो अपने साथी शुभम उपाध्याय पुत्र त्रिभुवन नि. जोधी का पूरा, शिवम पाण्डेय उर्फ प्रवीन पुत्र विंध्याचल नि. हीरापट्टी के साथ मिलकर मोटर साइकिल की चोरिया करते हैं, चेकिंग व पुलिस को धोखा देने के लिए नम्बर प्लेट बदलकर चलते हैं तथा चोरी करके गाडियो को बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं, उक्त गाड़ी को हमलोग मऊ कचहरी से चुराया था, असली नम्बर प्लेट निकालकर नकली नम्बरप्लेट लगा दिया था। जिस कारण पकड़ लिये गये हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 401/24 धारा 317(2),318(4),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

टीम प्रथम -उ0नि0 अजय सिंह, कां0 रोहित वर्मा, कां0 काशी कुमार, कां0संदीप विश्वकर्मा

टीम द्वितीय- उ0नि0 राज नारायन पाण्डेय, हे0कां0 भोलानाथ, कां0 सुधीर कुमार, थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना निजामाबाद

चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी गये रूपये के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण

थाना स्थानीय पर निम्नलिखित चोरी की घटनाएं-

➡दिनांक 05.05.24 को वादी रणकेश वर्मा पुत्र गणराज सा0 नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ के दुकान के काउण्टर का ताला तोडकर लगभग पाँच हजार रु0 चुरा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0 201/24 धारा 457/380 IPC, पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 17.05.24 को वादी कुलदीप यादव पुत्र स्व0 हरिहर प्रसाद यादव निवासी अगसड़ा मुस्तफाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ द्वारा मन्दिर के पेटिका मे रखा लगभग 02 हजार रुपया चुरा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0 224/24 धारा 380 IPC, पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 12.06.24 को वादी संदीप कुमार गुप्ता पुत्र हृदय नरायन गुप्ता निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा शिव मन्दिर में रखी प्रतिमा को गायब कर पूजा की सामग्री व वर्तन भी चुरा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0 272/24 धारा 380 IPC पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 11.07.24 को वादी सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 जयगुन ग्रा0 रघुनाथपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी की नियति से घर में घुसने के संबन्ध में मु0अ0सं0 336/24 धारा 305,62,115(2) BNS पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 12.07.24 उ0नि0 चन्द्रजीत यादव, उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय , उ0नि0 कमला प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त प्यारेपट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को असनी नहर पुलिया के पास से समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 201/24 धारा 457/380/411 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 224/24 धारा 380/411 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 272/24 धारा 380 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 336/24 धारा 305,62,115(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-संजय कुमार पुत्र सोहित प्यारेपट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी- चोरी के 870 रू0

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1 उ0नि0 चन्द्रजीत यादव 2. उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, 3. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय , 4.उ0नि0 कमला प्रसाद
5. हे0का0 मुलायम सिंह यादव, 6. का0 सुमित सिंह निजामाबाद जनपद आजमगढ़

थाना- जहानागंज

गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु.अ.स. 361/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के वांछित अभियुक्त गुलाम जिलानी पुत्र इलियास निवासी बड़हलगंज थाना जहानागंज आजमगढ़ को बड़हलगंज पुलिया से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

नाम पता अभियुक्तः-
गुलाम जिलानी पुत्र इलियास निवासी बड़हलगंज थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष
आपराधिक इतिहास
मु.अ.स. 361/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़
मु.अ.स. 437/23 धारा 386/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
उ.नि. मदन कुमार गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़
हे. का. गोविन सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना – तहबरपुर

अवैध देशी तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.07.2024 को उ0नि0 प्रशि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह के द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम करियावर मार्ग में पुर्वांचल एक्सप्रेस-वे अण्डर पास से एक व्यक्ति प्रेमनाथ पुत्र स्व0 श्रीराम ग्राम सेमरी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर चालू हालत में तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 20.45 बजे हिरासत पुलिस लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 155/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

प्रेमनाथ पुत्र स्व0 श्रीराम ग्राम सेमरी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0सं0 155/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 12/2021 धारा 323,324,324,504 भादवि थाना तहबरपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 12/2021 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना सिधारी, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 88/2024 धारा 307,323,392,427,452,504,506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 SC/ST Act थाना तहबरपुर, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 3/25 A. Act थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः –

1. उ0नि0 प्रशि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, थाना तहबरपुर आजमगढ़
2. का0 मंजीत प्रसाद, थाना तहबरपुर, आजमगढ़
3. का0 अरविन्द कुमार, थाना तहबरपुर, आजमगढ़

थाना देवगांव आजमगढ़

विभिन्न घटनाओ को अंजाम देने वाले 03 मोबाइल चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक व मोबाइल (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये) व अवैध असलहा व कारतूस बरामद ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

आवेदक हरिनाथ पुत्र मिश्रीलाल विश्वकर्मा सा0 सिकरौरा थाना देवगाँव आजमगढ के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2024 को आवेदक का भाई नटवर लाल जो घाट के लिए चार पाई लेकर देवगाँव बाजार से अपने घर जा रहा था कि रास्ते मे दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल से आकर झपट्टा मारकर वादी के भाई का मोबाईल लेकर भाग जाना तथा वादी के भाई के गिरने के कारण कुल्हे की हड्डी टूट जाने तथा बदमाशो के पास असलहा होने के कारण कुछ नही कह पाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 270/2024 धारा 307 बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 गौरव कुमार सिंह द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 11.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र, निरीक्षक अपराध रूद्रभान पाण्डेय व उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीकान्तपुर गेट पर मौजूद होकर चेकिंग के दौरान गोड़हरा की तरफ से एक मोटर साईकिल काफी तेज गति से आती हुयी दिखायी दी जिसे रोकने का प्रयास किया गया, बाइक सवार पुलिस को देखकर बाइक मुड़ाकर भागना चाहे, लेकिन बारिश होने के कारण रोड़ पर मोटर साइकिल फिसल गयी और पीछे बैठा व्यक्ति असलहा निकाल कर पुलिस वालो को लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से एक फायर कर दिया। इसी बीच समस्त पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से फील्ड क्राफ्ट में सिखलाये गये तरीके से घेराबन्दी कर बदमाशो को पुनः असलहा लोड़ करने का मौका दिये बिना आवश्यक बल प्रयोग कर पकडें और हमराहीयान की मदद से भाग रहे तीनो बदमाशो को 40-50 कदम जाते जाते पकड लिया गया।

➡पकडे गये बदमाशों 1. शिवप्रसाद सरोज पुत्र दलसिंगार सरोज निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को एक अदद .315 बोर का नाजायज देशी तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस .315, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 मोबाईल, 2. प्रदीप राजभर पुत्र स्व0 जयनाथ राजभर निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को 03 अदद मोबाईल तथा 3. वि सरोज पुत्र बच्चन निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद मोबाईल के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡पकडे गये अभियुक्त शिवप्रसाद उपरोक्त का जुर्म 379,411 भादवि0 व धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 270/2024 धारा 307,317(2) बीएनएस तथा अभियुक्त प्रदीप राजभर उपरोक्त का जुर्म धारा 109 बीएनएस व धारा 379,411 व मु0अ0सं0 270/2024 की धारा 307,317(2) बीएनएस व रवि सरोज उपरोक्त का जुर्म धारा 379,411 भादवि0 व धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसा **समय करीब 02.20 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया ।

पूछताछ का विवरण-

➡गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमलोगो का एक गिरोह है हमलोग थाना क्षेत्र बरदह, गम्भीरपुर, देवगांव आदि स्थानो पर घूमफिर कर आने जाने वाले सीधे साधे राहगीरो से मोबाईल झपट्टा मारकर छीन लेते है या चोरी कर लेते है तथा मोबाईलो को बेंचकर प्राप्त को आपस में बांट लेते है तथा यह मोटर साइकिल हम लोगो ने हरिश्चन्द्र ढाबा मईखरगपुर से दिनांक 26.06.2024 को शाम करीब 07.30 बजे चुराया था जिसकी डिग्गी में रखा मोबाईल रेडमी जो रवि के पास से बरामद हुआ है, चुराये थे तथा रवि के पास बरामद एमआई मोबाइल हम तीनो ने मिलकर पेसारा जौनपुर से चुराया था तथा रवी के पास बरामद तीसरा ओप्पो मोबाईल उसका स्वयं का है

➡तथा प्रदीप राजभर के पास से बरामद मोबाईल रीयलमी मोबाईल हम तीनो ने मिलकर कबीरा पुलिया से तथा इनफिनिक्स मोबाईल मै व प्रदीप ने मिलकर दिनांक 05.07.2024 को दिन में करीब 03.00 बजे इसी मोटर साइकिल से ग्राम चौकी के पास मोरंग गिट्टी बालू की दूकान के पास एक व्यक्ति साइकिल से सिर पर चारपाई रखकर जाते समय उसका मोबाईल झपट्टा मारकर धक्का देकर गिराकर छीनकर भाग गये थे और तीसरा ओप्पो मोबाईल हम लोगो ने ग्राम बकेश से चुराया था तथा मेरे पास से बरामद टेक्नो मोबाईल मेरा स्वयं का है।

➡तथा दूसरा रेडमी मोबाईल मै शिवप्रसाद व प्रदीप राजभर ने मिलकर असवनिया नहर की पुलिया पर रखा हुआ मोबाईल दिनांक 30.06.2024 को शाम को चुरा लिये थे। इन सभी मोबाईलो को हम लोग बेचने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे थे किन्तु सही ग्राहक न मिलने के कारण बेंच नहीं पाये। आज हम तीनो इसी मोटर साईकिल से घुम फिर कर नया राहगीर तलाश कर कोई घटना करना चाहते थे किन्तु आप लोगो ने पकड लिया। साहब गलती हो गयी माफ करदें।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- 272/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़
बरामदगी का विवरण-
01 अदद मोटर साइकिल (थाना गंभीरपुर से संबंधित)
अभियुक्तः- शिवप्रसाद सरोज - एक अदद .315 बोर का नाजायज देशी तमंचा, नाल में फसा हुआ एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर , 02 मोबाईल रेडमी व एक अदद मोबाईल टेक्नो
अभियुक्तः- प्रदीप राजभर - 03 अदद मोबाईल ओप्पो कंपनी, रीयलमी, इनफिनीक्स कंपनी का बरामद हुआ
अभियुक्तः- रवि सरोज - एक अदद तमंचा .315 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर , एक अदद मोबाईल रीयलमी, 02 अदद मोबाईल एमआई , रेडमी
आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त- शिवप्रसाद सरोज पुत्र दलसिंगार सरोज निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1.	174/2021	379,411 भादवि	देवगाँव	आजमगढ
2.	232/2024	379 भादवि	बरदह	आजमगढ
3.	270/2024	307 बीएनएस	देवगाँव	आजमगढ
4.	272/2024	109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	देवगाँव	आजमगढ
5.	242/2024	379 भादवि	गंभीरपुर	आजमगढ़

2. प्रदीप राजभर पुत्र स्व0 जयनाथ राजभर निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1.	232/2024	379 भादवि	बरदह	आजमगढ़
2.	270/2024	307 बीएनएस	देवगाँव	आजमगढ
3.	272/2024	109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	देवगाँव	आजमगढ
4.	242/2024	379 भादवि	गंभीरपुर	आजमगढ़

3. रवि सरोज पुत्र बच्चन निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1.	272/2024	109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	देवगाँव	आजमगढ
2.	242/2024	379 भादवि	गंभीरपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-
1. शिवप्रसाद सरोज पुत्र दलसिंगार सरोज निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. प्रदीप राजभर पुत्र स्व0 जयनाथ राजभर निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. रवि सरोज पुत्र बच्चन निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-
1. प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र, निरीक्षक अपराध रूद्रभान पाण्डेय उ0नि0 गौरव कुमार सिंह देवगाँव आजमगढ़
2. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना देवगाँव, आजमगढ़
3. प्रशि0उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा थाना देवगाँव, आजमगढ़
4. हे0का0 श्याम कुमार गौतम थाना देवगाँव, आजमगढ़
5. हे0का0 भानू प्रताप यादव थाना देवगाँव, आजमगढ़
6. का0 शिवम तिवारी थाना देवगाँव, आजमगढ़
7. का0 कृष्ण कुमार सिंह थाना देवगाँव, आजमगढ़